भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3987

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023/3 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है।

किसान खाद बीज केन्द्र

3987. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नैफेड और इफको के सहयोग से सहकारी समितियों के माध्यम से प्रत्येक जिले में किसान खाद बीज केन्द्र स्थापित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) योजना के अंतर्गत चिह्नित मखाने और अन्य फसलों का उत्पादन करने के लिए किसानों को आसानी से उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के लिए किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(भगवंत खुबा)

(क): किसान बीज केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पीएमकेएसके कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी सभी आदानों (उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि) तथा अन्य फार्म उपकरणों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, को अगस्त, 2022 से शुरू किया गया है।

(ख) और (ग): देश भर में किसानों को 2.7 लाख चल रही खुदरा दुकानों, सहकारी समितियों आदि के माध्यम से समय से तथा वहनीय कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं।

इसके साथ ही भारत सरकार विभिन्न स्कीमों नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), बीज तथा पौधा रोपण सामग्री संबंधी उप-मिशन आदि के माध्यम से गुणवत्तापरक बीजों तथा पौधा रोपण सामग्री के उत्पादन तथा वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं के सृजन/सुदृढ़ करने हेतु राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

****